न्यायालय : सिविल जज(सी0डि0), जलेसर,एटा.
मूलवाद संख्या–23/2016

श्रीमती ज्ञान देवी ––––बनाम–––––– उदयवीर।

<u>29.10.2018</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर पक्षकार उपस्थित। पत्रावली वास्तें विरचित वाद बिन्दू नियत है। उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद विरचित किये जाते है।

(1)– क्या वादिनी वादपत्र में वर्णित कथनों के आधार पर विवादित सम्पत्ति की मालिक व काबिज है ?
(2)– क्या वाद धारा–331 विनाश अधिनियम से बांधित है ?
(3)– क्या वाद आवश्यक पक्ष मुकदमा न बनाये जाने से दोषित है ?
(4)– क्या वाद का मूल्याकंन गलत किया गया है ?
(5)– क्या वादिनी किसी किसी अनुतोष को प्राप्त करने अधिकारिणी है ?
(6)– उक्त वाद बिन्दू के अलावा अन्य कोई वाद बिन्दू नही बनता है। और न ही पक्षकरों की ओर से अन्य किसी वाद बिन्दू को बनाये जाने पर बल दिया गया है। पत्रावली वास्तें दिनांक– को पेश हो।

सिविल जज(सी0डि0)
जलेसर, एटा।